

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर  
कमांक: एफ.1(ए)102/स्था./पार्ट-10/संस्था/2016/

दिनांक:

--:आदेश:-

५५५

10 OCT 2016

इस विभाग के निम्नांकित सहायक कार्यालय अधीक्षकों का वर्ष 2015-16 की पर्यवेक्षकों की रिक्त पदोन्नति में नाम सम्मिलित नहीं रहने के फलस्वरूप इनको इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पर्यवेक्षक के पद विरुद्ध तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है:-


क.स.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विवरण
1.	सुश्री गोदावरी गेरियानी	ब्यावर	अजमेर	स्वयं की प्रार्थना रिक्त पद पर
2.	श्री किशन कुमार पालीवाल	उदयपुर शहर	जयपुर शहर	स्वयं की प्रार्थना रिक्त पद पर
3.	श्री दिनेश चन्द पनवाड	झालावाड	कोटा	स्वयं की प्रार्थना रिक्त पद पर
4.	श्री सत्यनारायण गुप्ता	कोटा	झालावाड	प्रशासनिक कारण रिक्त पद पर
5.	श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा	झालावाड	कोटा	स्वयं की प्रार्थना रिक्त पद पर
6.	श्री रघुनाथ जाट	नागौर	अजमेर संभाग	स्वयं की प्रार्थना रिक्त पद पर
7.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	अलवर	अलवर	यथावत
8.	श्री भगवानदास वाघवानी	नागौर	नागौर	यथावत
9.	श्री रामगोपाल खारोल	नागौर	नागौर	यथावत
10.	श्री विनोद कुमार भगत	सा.बी.यो. जयपुर	सा.बी.यो. जयपुर	यथावत
11.	श्री अशोक लालवानी	पाली	पाली	यथावत
12.	सुश्री नानकी नारवानी	अजमेर	अजमेर	यथावत
13.	श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी	ब्यावर	ब्यावर	यथावत
14.	श्री महेश कुमार मेहता	बून्दी	बून्दी	यथावत

8/10/16

क.स.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विवरण
15.	श्री स्नेहलता जैन	अजमेर	अजमेर	यथावत

इन कार्मिकों को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.09.2016 के अनुसार कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी ।

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


  
(गणेश कुमार शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)102/स्था./पार्ट-10/संस्था/2016/ 10026-80 दिनांक:

10 OCT 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर ।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय /साधारण बीमा योजना जयपुर ।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त /अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग संभाग कार्यालय
5. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक मुख्यालय /साधारण बीमा योजना, जयपुर ।
7. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग, जिला कार्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अदिलम्ब संबंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करें एवम् कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
8. सिस्टम एनालिस्ट/उप निदेशक मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. सम्बन्धित कार्मिकगण ।
10. कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठ निर्धारक लिपिक/सेवापुस्तिका लिपिक ।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

  
(विजय कुमार पारीक)  
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान जयपुर